न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 05 / 19

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत दीवली, तहसील भुसावर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

1— श्री संजीव शर्मा ,ई.ओ. पेरोकार रसद
2— श्री पंकज कुमार ऐडवोकेट अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 06.08.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्व अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया गया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के निर्देश की पालना में दिनांक 01.04.2019 को ग्राम पंचायत बाछरैन भाग 1/2 के वैकल्पिक राशन डीलर श्री राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत दीवली तहसील भुसाबर की खाद्यान्न के अवैध भण्डारण की शिकायत की जांच की गई, जांच करने पर निम्न स्थिति पायी गई :—

1. मौके पर ग्राम बाछरैन में राशन डीलर श्री राधेश्याम द्वारा वैकल्पिक उचित मूल्य दुकान का खाद्य सुरक्षा गेहूं भारतीय खाद्य निगम के मार्का लगे 100 कट्टों में प्रति कट्टा 50 किग्रा व कुछ खुला गेहूं कुल मात्रा

50.90 क्विंटल का गैर प्राधिकृत स्थल पर अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर राशन डीलर द्वारा गेहूं के भण्डारण के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने व गैर प्राधिकृत स्थल पर खाद्य सुरक्षा गेहूं के भण्डारण करना स्पष्ट होने पर मौके पर 50.90 क्विंटल गेहूं को मय वारदाना जप्त सरकार किया गया तथा बजह सबूत, मौका परिस्थिति एवं सुरक्षा की दृष्टि से जप्तसुदा गेहूं मय वारदाना ग्राम पंचायत बाछरैन के उचित मूल्य दुकानदार श्री वीरेन्द्र भाग 1/2 की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा बिना किसी आदेश या प्रमाणित नक्शे के गैर प्राधिकृत स्थल पर खाद्य सुरक्षा गेहूं का भण्डारण करना ''राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976'' के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 50.90 क्विं. गेंहू मय वारदाना जब्त सरकार किया गया। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त जप्तशुदा 50.90 क्विं0 गेंहू मय वारदाना को राजसात (Confiscate) कराने का श्रम करावें। चूंकि गेंहू शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है अतः प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक गेंहू का अंतरिम निस्तारण कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। पेरोकार रसद की बहस सुनी गईं। और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब को अपनी बहस ही मानने को कहा।

सत्यमेव जयते
WB Copy - Not Official

प्रार्थी पेरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के निर्देश की पालना में दिनांक 01.04.2019 को ग्राम पंचायत बाछरैन भाग 1/2 के वैकल्पिक राशन डीलर श्री राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत दीवली तहसील भुसाबर की खाद्यान्न के अवैध भण्डारण की शिकायत की जांच की गई, जांच करने पर मौके पर निम्न स्थिति पायी गई ।ग्राम बाछरैन में राशन डीलर श्री राधेश्याम द्वारा वैकल्पिक उचित मूल्य दुकान का खाद्य सुरक्षा गेहूं भारतीय खाद्य निगम के मार्का लगे 100 कट्टों में प्रति कट्टा 50 किग्रा व कुछ खुला गेहूं कुल मात्रा 50.90 क्विंटल का गैर प्राधिकृत स्थल पर अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर राशन डीलर द्वारा गेहूं के भण्डारण के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने व गैर प्राधिकृत स्थल पर खाद्य सुरक्षा

गेहूं के भण्डारण करना स्पष्ट होने पर मौके पर 50.90 क्विंटल गेहूं को मय वारदाना जप्त सरकार किया गया तथा बजह सबूत, मौका परिस्थति एवं सुरक्षा की दृष्टि से जप्तसुदा गेहूं मय वारदाना ग्राम पंचायत बाछरैन के उचित मूल्य दुकानदार श्री वीरेन्द्र भाग 1/2 की सुपुर्दगी में दिया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने प्रस्तुत जबाब को बहस मानते हुए जाहिर किया है कि अप्रार्थी के विरुद्व गलत कार्यवाही तथ्यों के साथ शुरू की गई। दिनांक 23.07.2019 को प्रार्थी को वैकल्पिक उचित दुकानदार बाछरैन 1/2 के रूप में नियुक्त किया गया। था। प्रार्थी के पास जो पूर्व में दुकान थी वह काफी छोटी थी जिस पर राशन डीलर दीवली के रूप में जो माल आता था उसी का भण्डारण हो जाता था। प्रार्थी ने एक अलग दुकान की व्यवस्था दिनांक 30.03.2019 को की जिसका किरायानामा मय नक्शा दुकान के मालिक श्री सन्तो को पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी बाछरैन से तैयार कराया दिनांक 30.03.2019 को ही क्रय विक्रय सहकारी समिति वैर से प्रार्थी के पास दोनों दुकानों का राशन पहुंचा गया । चूंकि प्रार्थी की पूर्व की दुकान पर जगह कम थी । इस कारण प्रार्थी ने नई दुकान पर जो कि प्रार्थी को पूर्व की दुकान के पीछे स्थित है पर राशन डीलर बाछरैन के हिस्से के रूप में आये माल को रखवा दिया। दिनांक 01.04.2019 को जब तक प्रार्थी नई दुकान के कागजों को संबधित अधिकारी के यहां जमा कराता तब तक प्रवर्तन निरीक्षक ने सुबह 8 बजे कार्यवाही कर गेंहू को जब्त कर लिया। प्रार्थी ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का केई उल्लघन नहीं किया और ना ही प्रार्थी के मन में कोई बदनियती थी माल जब्तशुदा माल प्रार्थी की मूल दुकान से लगती हुई दुकान पर रखा हुआ था और जितना गेंहू प्रार्थी को क्रय विक्रय सहकारी समिति वैर से प्राप्त हुआ था उतना ही मोके पर मिला ना तो प्रार्थी इस गेंहू का किसी अन्य जगह परिवहन कर रहा था और ना ही निर्धारित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य लोगों को वितरित कर रहा था। समस्त कार्यवाही मात्र पार्टीबंदी व झूठी शिकायत के आधार पर की गई जो काबिल निरस्तनीये है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दिया गया 6 ए कार्यवाही एवं नोटिस निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी की लिखित जबाब व बहस पर गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को दूसरी उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट किया गया था। अटैचमेन्ट की खाद्य सामिग्री दिनांक 01.04.2019 को प्राप्त हई

थी, जिसे अप्रार्थी द्वारा अन्य स्थान पर सुरक्षित रखा जा रहा था। किसी की झूठी शिकायत एवं पार्टीबंदी के आधार पर अप्रार्थी के खिलाफ कारवाई गलत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के आज्ञा दिनांक 21.05.2019 के अनुपालन में जप्त गेंहू के अन्तरिम निस्तारण विक्रय से प्राप्त राशि अप्रार्थी को लौटाई जावे। निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर